

(१७)

राज्या- ६५१/२०१५/१५०८/६९-१-२०१५-३०/२०१५-०९-१/१२५

उपक,

एच०प० सिंह,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-324/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 01 मई, 2015 व संख्या-927/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 09 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट में प्राविधानित धनराशि से जनपद-बस्ती की न०४००४०, बस्ती की 11 परियोजनाओं एवं जनपद-सिद्धार्थनगर की न००४००४०, सिद्धार्थनगर की 02 परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण व अन्य सामान्य कार्यों से सम्बन्धित कुल 13 परियोजनाओं हेतु ₹० 417.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹० 208.70५ लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में शासनादेश संख्या-213/26-ब०प्र०-2014-30(म०व०-८३)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से जनपद-बस्ती की न०४००४०, बस्ती की 06 परियोजनाओं एवं जनपद सिद्धार्थनगर की न००४००४०, सिद्धार्थनगर की 02 परियोजनाओं अर्थात् कुल 08 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि ₹० 124.64५ लाख (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री गज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकीस्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/-

Tc
10/11/15

3. उक्त धनराशि द्वारा इस दायरे के अन्तर्गत सुनिश्चित करना या उन्नीस अंतर्गत अप्रैल-मई में जिला भौतिक विभाग के अधिकारीयों, जिला व नुसारता आदि को सुनिश्चित करना है वहाँ इन दो दिनों के बीच किए देखभाष द्वारा ही है। निम्नान्त समय सीमा में पूरी दी जानी तथा अन्नान्त समय सीमा में अनुमति देखभाष द्वारा द्वारा दी जायेगी। सम्बन्धित अन्नान्त समय सीमा में पूरी दी जानी तथा अन्नान्त समय सीमा में अनुमति देखभाष द्वारा दी जायेगी।
4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी दिक्कार से अनुमतिदेत कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दृष्टि में उनी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उत्करण का व्यय तीव्र निवारण के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगा।
7. उक्त पायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाना का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुरांगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के अनुग्रहों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त पायोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकाष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा समिक्षा/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्राप्ति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-यत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. रूपौकृत की जा रही धनराशि के माध्यम उत्तरी री धनराशि अहैस की जाएगी, जिनकी 3. जावे, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू दित्तीय एवं 2015-16 में अनुदान संख्या-83 की अन्तर्गत योजनालग्नीत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी वरितर्थो का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मत्तिन वरितर्थो में सी0सी0 रोड/इण्टरलाइंकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-35-पूर्जीगत परिसम्पातेर्थो के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय
 १५३१
 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-651 /2015/1508(1)/69-1-2015 तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, वस्ती/सिद्धार्थनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक देव मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

(प्रतिविवरण)

क्र०	वर्ग	ठिकाना	वर्तमान भूमि का नाम	प्रदेशीय भूमि का नाम	दिनांक
सं०	का नाम	जगह उच्चांक		भूमि का नाम	निर्देशक का नाम
१	२	३	४	५	६
१	वस्ती	न०पा०५०.	वाडे स०-०१, लरदरेया में श्री इन्द्रजीत निह के मकान से पाइमोर लूट होते हुए गन्दा नामा तक नाता निर्माण कार्य।	33.37	16.६३५
२	तदैव	तदैव	वाडे स०-०५, म०० पाण्डेय बाजार में श्री रम प्रकाश पूर्ख निधारक के मकान से श्री चन्द्र आटिय के मकान तक इंटरलाइंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	25.84	12.९२
३	तदैव	तदैव	वाडे स०-११, म०० रोतापार में मालवीय राड से एस०एन० निह के मकान तक व जानकी निशा के मकान से विनीता पाल के मकान तक इंटरलाइंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	29.87	14.९३५
४	तदैव	तदैव	वाडे स०-११, म०० रोतापार में श्री हनुमान प्रसाद के मकान से श्री अंकुरम यादव के मकान तक इंटरलाइंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30.02	15.01
५	तदैव	तदैव	वाडे स०-१९, म०० बेलवाडी मिलतनगर में डा० निहाल के मकान से रेहना खातून, मिस्ट्रासुल हवक के मकान होते हुए कदिस्तान मुख्य मार्ग तक इंटरलाइंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	37.98	18.९९
६	तदैव	तदैव	वाडे स०-११, म०० रोतापार में श्री बी०क० लाल श्रीवास्तव के मकान से शिवनशयन चौधरी के मकान हेतु अन्वेषकर पार्क मार्ग तक इंटरलाइंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	20.91	10.४५५
७	सिद्धार्थनगर	न०पा०५०. सिद्धार्थनगर	विजय नगर में मछली मण्डी से राम लखन के मकान होते हुए काली मन्दिर तक इंटरलाइंग सड़क, नाली व ढक्कन का निर्माण कार्य।	33.68	16.८४
८	तदैव	तदैव	शिवाजी नगर में श्री धुब के घर के सामने श्री परशुराम यादव के मकान होते हुए दलित वस्ती तक इंटरलाइंग सड़क, नाली व ढक्कन का निर्माण कार्य।	37.62	18.३१
योग				249.29	124.६४५

(रूपाये एक करोड़ चौबीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ मात्र)


(एस०प०० सिंह)
विशेष सचिव।